बिहार सरकार
शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय
शिक्षा विभाग
!!अधिसूचना!!

12/ प्रशिक्षण–01/2016 (अंश–1)........../ राज्य के गैर सरकारी स्ववितपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी०एल०एड० कोर्स के लिए, शैक्षणिक सत्र 2023–25 से प्रति छात्र अधिकतम 60,000/–(साठ हजार) रूपये वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के सम्पूर्ण कोर्स हेतु प्रति छात्र अधिकतम कुल 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार) रूपये मात्र शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा डी०एल०एड० कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर हुआ है। अतः वेतनादि पर कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जायेगी जिस अनुपात में व्यय कम होगा। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा।

डी०एल०एड० कोर्स के शुल्क निर्धारण से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/ प्रशिक्षण–01/2016 (अंश–1)............................ पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सदस्य–सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, हंस भवन, विंग–2, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना/ श्री शिव प्रकाश झा, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय, गाँधी मैदान पश्चिमी, पटना/डॉ० शंकर कुमार भौमिक, निदेशक, पाटलीपुत्र स्कूल ऑफ इकॉनोमिक, पटना/श्री हरषिकेश कुमार, चेयरमैन, द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ पटना चैप्टर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/ प्रशिक्षण–01/2016 (अंश–1)............................ पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–सभी प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सभी गैर स्वपोषित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/ प्रशिक्षण–01/2016 (अंश–1)............................ पटना, दिनांक..................

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी अंक में इसे प्रकाशित करने की कृपा की जाय। 2. अनुरोध है कि इसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को भेजी जायें।

ह०/–
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/ प्रशिक्षण–01/2016 (अंश–1)...343 पटना, दिनांक 03/07/23

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

30.6.23
संयुक्त सचिव।